न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 10 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/7)

पंजीयन दिनांक– 04.02.2021

निर्णय दिनांक– 16.08.2021

1. श्री नारायणलाल पिता गणेश खटीक, निवासी गांधी नगर सेक्टर नम्बर 5, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री अरविन्द पिता रतनलाल सोलंकी, निवासी गांधी नगर सेक्टर नम्बर 5, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रतनलाल पिता जितू रेगर, निवासी जालमपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री अशोक कुमार पिता रतनलाल सोलंकी, निवासी गांधी नगर सेक्टर नम्बर 5, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री रतनलाल पिता चम्पालाल रेगर, निवासी सेमलपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री रामकुमार पिता बंशीलाल चावला, निवासी गांधी नगर सेक्टर नम्बर 4, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेश जणवा –अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा– 90 ए (9) भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12 / 2017 योजना दिनांक 29.05.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.07.2017

निर्णय

दिनांक 16.08.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 90 ए (9) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय प्राधिकृत अधिकारी एवं

सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 12/2017 योजना निर्णय दिनांक 29.05.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 18.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.02.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 04.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि शहर चित्तौड़गढ़ की हाल आराजी नम्बर 2310, 2308, 2315 एवं 2316 की कृषि आराजी स्थित है। वर्णित आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 के पुरखों के समय से चली आ रही है, जिसके मालिक एवं खातेदार उनके मौरूस थे जिनका आधिपत्य भी चला आ रहा है, लेकिन उक्त आराजी में से आराजी नम्बर 2308 व 2310 के खाते में भू–प्रबंध के दौरान गलत अंकन हो जाने से उक्त भूमि के खातेदारों के नाम में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया, जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 ने उक्त भूमि में अपने अधिकार की घोषणा हेतु राजस्व वाद रेस्पोडेंट सख्या 1 से 4 के विरूद्ध प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त वाद का अंतिम निस्तारण होना बकाया है। आराजी संख्या 2310 के हाल खाते के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने भूमि रूपांतरण हेतु आवेदन रेस्पोडेंट संख्या 6 के यहां प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 ने उक्त किस्म परिवर्तन के बाबत मय दस्तावेज सबूत के आपत्ति दिनांक 21.04.2017 को प्रस्तुत की, जिसका उचित निस्तारण किए बिना और उनको सुने बिना एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन का आदेश रेस्पोडेंट संख्या 6

द्वारा प्रदान किए जाने से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.07.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि शहर चित्तौड़गढ के आराजी नम्बर 2310/2 के हाल खातेदारों में से केवल दो खातेदार अरविन्द एवं रतनलाल ने उक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन करने का आवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर अन्य सह–खातेदारों की कोई अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई। आराजी संख्या 2310 के स्वामित्व के बाबत पक्षकारों के बीच वाद विचाराधीन होकर उक्त आराजी बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध स्थगन होते हुए उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आराजी के किस्म परिवर्तन बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 द्वारा दिनांक 21.04.2017 को लिखित आपत्ति मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। उक्त की गई आपत्ति का आवेदन प्रस्तुतकर्ता द्वारा कोई जवाब/प्रत्युत्तर/खण्डन नही होते हुए भी प्रस्तुत आपत्ति को नहीं मानने का कोई कारण दर्शित किए बिना परिवर्तन का आदेश दिया है। उक्त आराजी के परिवर्तन पर आपत्ति प्रस्तुत होने की स्थिति में आपत्ति प्रस्तुतकर्ता को सूचित कर और साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कराया जाना आवश्यक था। ऐसा अवसर आपत्तिकर्ता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदान नही किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भू–रूपांतरण आदेश के पूर्व उक्त आराजी के बाबत कोई विवाद अथवा प्रकरण न्यायालय में लम्बित होने की

सूचना होने पर इस विवाद का अंतिम निस्तारण होने तक किस्म परिवर्तन किया वो किसी रूप में उचित नहीं है। आराजी संख्या 2310/2 क्षेत्रफल 0.1156 हैक्टेयर भूमि खाते में स्थित है, परंतु मौके पर यह रकबा पूर्ण नहीं है। आराजी संख्या 2310/2 के पडौस में लगती हुई हाल आराजी संख्या 2315 आ. चा. एवं 2316 की संपूर्ण आराजी आपत्तिकर्ता के अकेले स्वामित्व एवं अधिकार की भूमि है जिसका उपयोग–उपभोग आपत्तिकर्ता द्वारा एक्सक्लूजिव किया जा रहा है। इस आराजी में किस्म परिवर्तन की गई भूमि के प्लॉटों का रास्ता (सड़क) बता दी है जिससे भी उक्त संपरिवर्तन का आदेश एवं अनुमोदित प्लॉन का नक्शा नियम एवं तथ्यों के विपरीत है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपत्ति प्रस्तुतकर्ता की आपत्ति में वर्णित तथ्य एवं उसके साथ प्रस्तुत साक्ष्य में यह माना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट पिटीशन विचाराधीन है और इस रिट पिटीशन के साथ स्थगन रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध जारी है, लेकिन यह मानकर कि स्थगन केवल वर्णित आराजी के हस्तांतरण एवं विक्रय आदि तक ही सीमित है, इसमें रूपांतरण कवर नहीं होने से रूपांतरण किये जाने में कोई रूकावट नहीं माना जाना गलत एवं त्रुटिपूर्ण होकर उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। संपरिवर्तन के आदेश के पूर्व प्रक्रिया के तहत उक्त भूमि की सही एवं वास्तविक स्थिति बाबत संबंधित तहसीलदार से निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट मंगाया जाना आवश्यक था। रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के निस्तारण के आदेश में यह उल्लेख किया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति अस्वीकार की जाती है। भू रूपांतरण प्ररकण में आगामी कार्यवाही की जावे साथ ही आवेदक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पूर्णतः पालना की जावें। जिससे यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होना माना है। भू परिवर्तन आदेश के पूर्व यदि स्थल निरीक्षण किया जाता अथवा मौके की रिपोर्ट मंगवाई जाती तो उक्त आराजी की

मौके की सही स्थिति पत्रावली पर होने से उक्त आराजी का संपरिवर्तन का आदेश नही प्रदान किया जाता और आदेश के बाद संबंधित तहसीलदार से नाम मात्र की रिपोर्ट प्राप्त कर महज खानापूर्ति कर उसके आधार पर प्रदान किया गया संपरिवर्तन का आदेश त्रृटिपूर्ण है। उक्त संपरिवर्तन के आदेश की पालना में उक्त भूमि का मानचित्र अथवा नक्शा पारित किया है वह पूर्णरूप से वास्तविकता के विपरीत एवं मौके के विरूद्ध होने की वजह से अनुमोदित किया गया नक्शा गलत होकर सभी आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है एवं सभी संयुक्त खातेदारों की भी कोई अनापत्ति दर्ज नहीं है। साथ ही अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय उचित एवं नियमानुसार है। साथ ही यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेंट संख्या 6 द्वारा विधि अनुसार व विधिक प्रावधानों की पालना करके विधि की सीमाओं के अंदर रहते हुए उक्त आदेश पारित किया है और जो आदेश विधि के अनुसार व विधिक प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य होना बताते हुए अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा उनके द्वारा दफा 96 जा0 दी0 का आवेदन भी पेश नहीं किया व वे खातेदार भी नहीं थे एवं अपील बैरून मियाद है तथा मामला रिवीजन क्षेत्राधिकार का है। अपीलाण्ट का कोई **Locus Standie** नहीं है। अपील खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय R. R. T. 2021 (1) Page 18 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2017 को अपनी पत्रावली के पैरा संख्या 17 अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी की गयी एवं दिनांक 21.04.2017 को रजिस्टर्ड डाक से अपीलाण्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 9337/2015 के तहत प्रतिवादी क्रम संख्या 11 से 14 को पाबंद किया है कि भूमि का स्वरूप नहीं बदले तथा नगर विकास प्रन्यास भी उसमें पक्षकार है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संबंधित निर्णय की प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है जिसमें दिनांक 17.04.2017 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रकरण में यह वर्णित किया गया है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 11 से 14 यानि रेस्पोंडेण्ट उक्त भूमि को **Alienate** आगामी तारीख तक नहीं करेंगे। उक्त याचिका में आलोच्य आराजी भी शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पैरा संख्या 19 के अनुसार उक्त आपत्ति का वर्णन होकर उसमें यह अंकित किया गया है कि प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित होकर आगामी तिथि 17.07.2017 नियत है। प्रकरण में 11 से 14 तक आवेदकगण व क्रम 15 पर नगर विकास प्रन्यास रेस्पोंडेण्ट है। प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिक राय ली गयी जो पैरा 22 पर वर्णित है। पैरा 22 को हम उद्दृत करना उचित समझते हैं –

"पैरा संख्या 22 :– प्रस्तुत प्रकरण में प्राप्त आपत्ति के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से लम्बित एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9337/2015 नारायणलाल व अन्य बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान व अन्य में दिये गये आदेश दिनांक 17.04.2017 का अवलोकन किया। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट संख्या 11 से 14 तक इस हस्तगत प्रकरण के आवेदक है तथा नगर विकास प्रन्याय, चित्तौड़गढ़ रेस्पोंडेण्ट संख्या 15 बनाया गया है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 11 से 14 तक को यह निर्देशित किया गया है कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति का आगामी दिनांक तक आगे हस्तान्तरण नहीं

करेंगे। इस प्रकार उक्त रेस्पोंडेण्ट उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरित नहीं करेंगे अर्थात् आगामी दिनांक तक दान, बेचान नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज योग्य होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार न्याय में विचाराधीन एवं प्रक्रियाधीन इस प्रकरण में भू–रूपान्तरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है तथा न्याय के विरूद्ध भी किसी प्रकार का आदेश नहीं होने से भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही एवं आगामी कार्यवाही की जा सकती है। अतः आदेशार्थ प्रस्तुत है।"

उक्त विधिक राय के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 29.05.2017 को व पुनः उसमें खातेदारों के नाम संशोधित कर 18.07.2017 को 90–ए की कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 21.04.2017 के सन्दर्भ में अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा इस तथ्यों की भी कोई साक्ष्य नहीं है कि अपील प्रस्तुत करते समय दिनांक 21.04.2017 को उसमें सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के बाद 90–ए की जानकारी उसे 07.02.2018 से पूर्व होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध हो, अर्थात् प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में आपत्तिकर्ता को आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उसके द्वारा दफा 5 जा.दी. मियाद में वर्णित तिथि से पूर्व होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है क्योंकि ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी रही हो।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये आवेदन अर्न्तगत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिट संख्या 9337/2015 में आदेश दिनांक 12.09.2018 की प्रति पेश की है एवं उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश को

अग्रिम आदेशों तक निरन्तर रखे जाने का निर्णय रेस्पोंडेण्ट के स्थगन को खारिज करने के आवेदन पर उसे निरस्त करते हुए स्थगन निरन्तर आगामी आदेशों तक जारी रखने का आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा उक्त आवेदन के साथ वर्णित न्यायिक निर्णय को अविवादित माने जाने का कोई आधार नहीं है। उसके निर्णय की प्रति एवं प्रकरण से सुसंगत होने के कारण उक्त आवेदन को रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगवाये जाने पर प्राप्त मौका रिपोर्ट में मौके पर राजस्व रेकर्ड की स्थिति व वर्तमान में उक्त आराजी का मौके पर पड़त होकर झाड़ियां खड़ी होने का वर्णन किया है। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट द्वारा आवेदन आदेश 41 नियम 27 का आवेदन प्रस्तुत करते हुए राजस्व मण्डल के रेफरेंस प्रकरण संख्या 3489/2014 में निर्णय दिनांक 20.02.2019 की प्रति पेश की है, जिसमें आराजी नं0 2315 व 2316 बाबत् भूमि को सिवाय चक गैर मुमकीन नाड़ी दर्ज करने का आदेश दिया है। हमारे समक्ष विवाद आराजी संख्या 2310/2 का है। आराजी नं0 2315 व 2316 इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है, अतएवं रेस्पोंडेण्ट द्वारा पेशशुदा दस्तावेज इस प्रकरण से सुसंगत नहीं होने के कारण रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 का आवेदन खारिज किया जाता है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। हम सर्वप्रथम रेस्पोंडेण्ट के आवेदन के कथन जिसमें उसने दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने का वर्णन किया है, जो इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है एवं रेस्पोंडेण्ट द्वारा यह वर्णित किया गया है कि इस प्रकरण में रिवीजन प्रस्तुत होना चाहिये था। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी एवं उसका निर्णय अपीलाण्ट को सुने बिना किया जाकर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने के कारण उसकी हितबद्धता स्पष्ट होती है तथा

विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में यदि किसी पक्षकार ने आपत्ति प्रस्तुत कर रखी हो तो 90–ए के आदेश के विरूद्ध उसे अपील का अधिकार विद्यमान रहता है एवं तद्नुसार रेस्पोंडेण्ट का यह उज्र कदापि मान्य नहीं है कि दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत नहीं करने से अपील खारिज की जावें अथवा यह प्रकरण रिवीजन का प्रकरण हो, इस प्रकरण में अंतिम निर्णय हो चुका है। अतएवं बाद अंतिम निर्णय प्रस्तुत अपील को रिवीजन का प्रकरण नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सकारण अपनी आपत्ति न्यायिक निर्णयों के साथ प्रस्तुत की है अतएवं उसका **Locus Standie** नहीं हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। प्रकरण में रेस्पोंडेण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीरों में वाद से संबंधित प्रश्न पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है एवं उस प्रकरण में प्रकरण से असम्बद्ध व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने के 96 जा.दी. के आवेदन की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया गया है, तद्नुसार यह नजीर इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है।

अब हम प्रकरण में मूलतः अपीलाण्ट की अपील उज्रों के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा पेश किये गये प्लीडिंग्स व दस्तावेज, साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आधार पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो निर्णय हुआ है, वह मूलतः जैसा हमारे द्वारा ऊपर विवेचन किया गया है विधिक राय के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। संबंधित वरिष्ठ विधि अधिकारी द्वारा जो राय दी गयी है, उसमें यह लिखा गया है कि रेस्पोंडेण्ट 11 से 14 को यह निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत सम्पत्ति आगामी दिनांक तक आगे हस्तान्तरित नहीं करेंगे। इस प्रकार उक्त रेस्पोंडेण्ट उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरण नहीं करेंगे अर्थात् आगामी तिथि तक दान, बेचान नहीं करेंगे। इस प्रकार आपत्तिकर्ता की आपत्ति खारिज होने योग्य है। विधि अधिकारी ने यह भी वर्णित किया है कि भू–रूपान्तरण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है तथा न्यास के विरूद्ध भी किसी

प्रकार का आदेश नहीं है। हम विधि अधिकारी द्वारा इस प्रकार की राय दिये जाने को कदापि उचित नहीं मानते क्योंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति पूर्णतः स्पष्ट थी कि रेस्पोंडेण्ट 11 से 14 यानि रेस्पोंडेण्ट आवेदक को भूमि को **Alienate** नहीं करने को माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया हुआ था तथा नगर विकास न्यास भी उसमें पक्षकार थी अर्थात् उसकी जानकारी में इस प्रकार का स्थगन होने के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से सुस्पष्ट है। **Alienate** शब्द का आशय कि किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण से संबंधित होता है। इस प्रकार इस प्रकरण में चूंकि खातेदारों से भूमि समर्पण से नगर विकास न्यास के नाम जाती है अर्थात् भूमि स्पष्ट रूप से **Alienate** होती है। विधिक अधिकारी की यह मान्यता कि नगर विकास न्याय पाबंद नहीं है, यह कदापि उचित नहीं है क्योंकि किसी भी लोकसेवक का यह दायित्व होता है कि यदि कोई माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रचलित है एवं उस प्रकरण में वह भी पक्षकार है तो उक्त न्यायालय आदेश की पालना वह सुनिश्चित करवावें। धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खातेदारी अधिकारों का समर्पण होता है एवं भूमि की किस्म ही परिवर्तित हो जाती है तो ऐसे प्रकरणों में सुस्पष्ट रूप से उक्त कार्यवाही **Alienate** किये जाने की परिभाषा में शामिल होगी। रूल ऑफ लॉ (न्याय का शासन) होने के लिए यह आवश्यक है कि जब राजस्थान की शीर्ष न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन आदेश प्रचलित हो एवं उक्त आदेश से आवेदक पाबंद हो तथा उक्त तथ्यों की जानकारी संबंधित लोकसेवक को हो, उसके लिए उक्त स्थगन आदेशों का निर्वचन भ्रामक रूप से किया जाकर निर्णय किया जाना न्याय एवं न्यायालयों की गरिमा के विरूद्ध है, जिसे कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रकरणों में जहां माननीय उच्च न्यायालय स्थगन आदेश प्रचलित हो, वहां उक्त स्थगन आदेश को नजरंदाज करते हुए 90–ए की कार्यवाही को किया जाना हम न्यायिक प्रक्रिया, गरिमा एवं मर्यादा के

प्रतिकूल मानते हैं तथा विधि अधिकारी की राय पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये उक्त अपीलाधीन निर्णय को विधिक रूप से अमान्य मानते हैं, तद्नुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित 90–ए का आदेश दिनांक 29.05. 2017 एवं 18.07.2017 बाबत् आराजी नं0 2310/2 ग्राम चित्तौड़गढ़ को अपास्त करते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर